पत्रांक – ह0रे0 सूचना कोषांग (विविध)–01/2016

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पटना, दिनांक–

संकल्प

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में ताड़ पेड़ के उत्पादो पर आधारित उद्योगो के विकास हेतु समेकित योजना पर मंत्रीपरिषद की सैद्धांतिक सहमति/स्वीकृति।

बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित ताड़ के पेड़ों से अनेक तरह के प्राप्त उत्पादों से विभिन्न तरह की वस्तुएँ निर्मित की जाती है यथा गुड़, पेय पदार्थ (जिसमें ताड़ी– एक तरह का मादक पेय भी शामिल हैं), चटाई, झाड़ू, खिलौने, टोकरी इत्यादि। ताड़ के पेड़ो से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से परम्परागत रूप से यहाँ की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपना जीविकोपार्जन करता आ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि महिलाओ का एक बड़ा वर्ग इन उत्पादो से निर्मित होने वाले वस्तुओ से जुड़े पेशे पर अपनी रोजी–रोटी के लिए आश्रित है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई मद्यपान निषेध संबंधी नीति के परिपेक्ष्य में इस पेशे से जुड़े लोगों के जीविका को सुरक्षित रखने तथा रोजगार एवं आय के नये अवसर सृजन एवं संवर्द्धन की दिशा में ठोस पहल किये जाने की आवश्यकता है।

2. राज्य में ताड़ के पेड़ के उत्पादो पर आधारित उद्योगो के विकास से इससे जुड़े व्यक्तियों का रोजगार सृजन के साथ–साथ आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जायेगा।

4. (क) इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य अवयव निम्न रूप से होगा:

(i) इससे जुड़े लोगों को प्रखण्डवार व जिलावार, सहकारी/गैर सरकारी समितियों/ स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करते हुए इन्हें एक राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था के तहत समावेशित किया जाएगा।

(ii) समूहो/संस्थाओं/समितियों से जुड़े लोगो का अद्यतन आर्थिक स्थिति तथा इनके रोजगार संबंधी जरूरतो का आकलन करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण कराया जायेगा।

(iii) इन संस्थाओं/समूहो/समितियों के माध्यम से प्रखण्ड स्तर पर ताड़ के पेड़ों से प्राप्त होने वाले नीरा को वर्ष में चार माह तक एकत्रित करते हुए किसी एक जिले/एक से अधिक जिलो के स्तर पर प्रसंस्करण करने की व्यवस्था की जायेगी।

(iv) वर्ष के शेष आठ महीनो में ताड़ के पेड़ के उत्पादो यथा खोया व सूरन से पेड़ा, लड्डू, आइसक्रीम जैम/जेली आटा, रवा, दलिया, हलवा आदि तथा पत्ते, जड़, छाल आदि से चटाई, झाड़ू, खिलौने, टोकरी इत्यादि पर आधारित लघु उद्योगो को बढ़ावा दिया जाएगा।

(v) उत्पादो का विपणन विपणन बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी व ग्रामोद्योग आयोग तथा 'सुधा' के माध्यम से किया जायेगा।

(vi) उत्पादो पर आधारित ग्रामोद्योग/लघु उद्योग की इकाईयों को अनुदान तथा उनसे जुड़े संस्थाओ/समितियों/समूहो व शीर्ष संस्था को स्वतंत्र रूप से सक्षम करने हेतु सहायता उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उपरोक्त समेकित योजना के संदर्भ में विस्तृत कार्य योजना का निर्धारण निम्नांकित रूप से गठित समिति द्वारा किया जाएगाः

1.	विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग	–	सदस्य सचिव
3.	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	–	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, निबंधन एवं उत्पाद विभाग	–	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग	–	सदस्य
6.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	–	सदस्य
7.	सचिव, पशुपालन एवं मत्सय विभाग	–	सदस्य
8.	प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड	–	सदस्य

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0रे0 सूचना कोषांग (विविध)–01/2016 1823 पटना, दिनांक– 20/4/2016
प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0रे0 सूचना कोषांग (विविध)–01/2016 1823 पटना, दिनांक– 20/04/2016
प्रतिलिपि– ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपसे अनुरोध है कि इस संकल्प को आगामी गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रति उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0रे0 सूचना कोषांग (विविध)–01/2016 1823 पटना, दिनांक– 20/04/2016
प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निबंधन एवं उत्पाद विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पशुपालन एवं मत्सय विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0रे0 सूचना कोषांग (विविध)–01/2016 1823 पटना, दिनांक– 20/04/2016
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रशाखा–6(स0), उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0रे0 सूचना कोषांग (विविध)–01/2016 1823 पटना, दिनांक– 20/04/2016
प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।